न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 54 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. लिछमणाराम पुत्र विरधाराम	बनाम	1.आसुराम पुत्र पेमाराम
2. डाउराम पुत्र विरधाराम		2.भीखी पत्नी सोनाराम
3. न्नु देवी पत्नी विरधाराम		3.देउ पुत्री पुनमाराम
4. मंगीलाल पुत्र निम्बाराम		4.देदाराम पुत्र केशाराम
5. जयराम पुत्र निम्बाराम		5.नेनु पत्नी केशाराम जाति जाट निवासी
6. जेती पत्नी पुनमाराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी, हिरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		पांचा की ढाणी(हीरा की ढाणी) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
		6.शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा सवाउ पदमसिंह
		7.श्रीमान तहसीलदार साहब गिड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2020 बअनवान आसुराम बनाम लिछमणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.08.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा पांचा की ढाणी, (हीरा की ढाणी) तहसील गिड़ा में खेत खसरा संख्या 309 रकबा 27.01 बीघा, खसरा संख्या 314 रकबा 02.01 बीघा, खसरा संख्या 315 रकबा 0.19 बीघा, खसरा संख्या 324 रकबा 150.02 बीघा व खसरा संख्या 316 रकबा 383.07 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा व शेष प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है का बंटवाड़ा करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की सम्यक तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की सम्यक तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये बिना दस्तावेज प्रदर्शित करवाये विधि विरूद्ध जाकर अतिशीघ्रता दिखाते हुए लाकडाउन की अवधि में बिना पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिये आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्राथमिक डिक्री में केवल मात्र हिस्सों की घोषणा की गई है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सहीएवं प्रमाणित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2020 बअनवान आसुराम बनाम लिछमणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.08.2020 को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में **उभयपक्षकारान की उपस्थिति में "बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव" तहसीलदार गिड़ा को स्वयं मौके पर भेजकर प्राप्त करे** तत्पश्चात उभयपक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर आपतियों का निस्तारण कर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करे।

14/10/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर